Attacks on Dalits backed by Jagan-govt, alleges Lokesh

https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2023/nov/07/attacks-ondalits-backed-by-jagan-govt-alleges-lokesh-2630818.html

Lokesh urged the Centre and the National Human Rights Commission to intervene and ensure the protection of Dalits.

VIJAYAWADA: TDP national general secretary Nara Lokesh on Monday alleged that attacks against Dalits were continuing unabated with the backing of the State government.

In a statement released on Monday, he said the attack on the family of a Dalit man, Nippula Koteswara Rao, at Peddapuram in NTR district by YSRC activist Muttareddy pointed towards the ruling YSRC's encouragement of such incidents and its reluctance to take action against those responsible.

The TDP leader alleged that police ignored the victim's complaint about the manner in which Muttareddy insulted him based on his caste

"The staff at Nandigama government hospital, too, refused to provide medical care to Rao's family after the attack.These instances are clear indications that the ongoing attacks on Dalits are supported by the Jagan government," Lokesh said.

He also found fault with cases being filed under bailable sections against the accused in the attack on Dalit youth Kandru Shyam Kumar. Further, Lokesh urged the Centre and the National Human Rights Commission to intervene and ensure the protection of Dalits.

Dehradun News: पांचवें दिन लखवाड़ बांध प्रभावितों का धरना समाप्त

https://www.amarujala.com/dehradun/sdm-and-ujvnl-officials-talked-to-the-dam-affected-people-vikas-nagar-news-c-5-1-drn1030-282509-2023-11-07

एसडीएम और यूजेवीएनएल के अधिकारियों ने लखवाड़ बांध साइट पर धरने पर बैठे बांध प्रभावितों से वार्ता की। एसडीएम और निगम के अधिकारियों ने बांध प्रभावितों की मांगों को शासन और जिला प्रशासन तक पहुंचाने का और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन पर पांचवें दिन बांध प्रभावितों ने कार्यबंदी और धरना समाप्त कर दिया।

बृहस्पतिवार को बांध प्रभावितों ने लखवाड़ बांध साइट पर कार्य बंदी करने के साथ धरने पर बैठ गए थे। सोमवार को धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम कालसी हरगिरी गोस्वामी और यूजेवीएनएल के महाप्रबंधक एसके सिंह ने बांध विस्थापित श्रम सहकारी समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की। एसडीएम हरगिरी गोस्वामी ने बताया कि बांध प्रभावितों की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन गंभीर है। इसको लेकर शासन और जिला प्रशासन से वार्ता की जाएगी। इस अवसर पर समिति के महामंत्री बलबीर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान, उपसचिव भरत सिंह तोमर, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह पुंडीर व अन्य बांध प्रभावितों आदि सहित जल विद्युत निगम के अधिकारी गण उपस्थित थे।

।ज्ञापन सौंपा।

समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और सचिव राजेश चौहान ने बताया कि बांध प्रभावितों की अनुग्रह अनुदान सहायता में वृद्धि, नई जमीनों के अधिग्रहण में टिहरी गढ़वाल के समान उच्चतर सर्किल की रेट के आधार पर प्रतिकर दिए जाने, परिवारों की गणना जून 2013 के स्थान पर भुगतान वाले दिन करने, बांध से पूरी तरह से विस्थापित ग्रामीणों को सहमति से अपने ही क्षेत्र में बसने दिया जाने, स्थाई रोजगार और निर्माण कार्य कर रही कंपनी एल एंड टी में 75 फीसदी स्थानीय प्रभावितों को रोजगार मुहैया करवाने आदि मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।

।सीएम पोर्टल और मानव अधिकार आयोग में की शिकायत।

पुकार स्किल फाउंडेशन, कालसी के निदेशक सुदेश तोमर ने बताया कि उनकी ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री पोर्टल पर बांध प्रभावितों की समस्याओं को लेकर शिकायत की गई थी। उन्होंने दावा किया कि 16 नवंबर को बांध प्रभावितों और यूजेवीएनएल के अधिकारियों के बीच वार्ता प्रस्तावित है।

Bollywood 365X24X7: दिल्ली मुंबई में कहीं नहीं कोई सुनने वाला, इस इंडस्ट्री में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती

https://www.amarujala.com/photo-gallery/entertainment/bollywood/bollywood-365x24x7-there-is-no-one-to-listen-in-delhi-and-mumbai-no-holiday-in-this-industry-2023-11-06

देश की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है, जहां पर कभी छुट्टी नहीं होती। न होली, न दिवाली, न ईद, न क्रिसमस। यहां तक कि राष्ट्रीय पर्वों तक पर लोग काम पर लगे रहते हैं। इसी साल की शुरुआत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली तमाम यूनियनों की फेडरेशन यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने रविवार को शूटिंग बंद रखने के साथ ही सूची जारी करके साल में 12 और छुट्टियों का ऐलान किया था, लेकिन फेडरेशन की कौन कितनी सुनता है, ये इसी बात से जाहिर है कि इस सूची के जारी होने के 10 महीने बाद भी छुट्टियां लागू नहीं हो पाई हैं। निर्माताओं की संस्था फेडरेशन को मानती ही नहीं हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर महाराष्ट्र में अमल हो पाना कितना मुश्किल है, ये भी इस मामले से समझ आ जाता है। हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगारों, तकनीशियनों की संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने जनवरी महीने में साल में अनिवार्य छुट्टियों की सूची जारी की थी, जिसमें महीने के हर रविवार की छुट्टी के अलावा साल भर में 12 और छुट्टियों का ऐलान किया गया था। लेकिन अभी तक फिल्म में काम करने वाले कामगारों, तकनीशियनों के लिए ये छुट्टियां लागू नहीं हुई हैं। इस मामले में निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्था इम्पा के अध्यक्ष अभय सिन्हा कहा, 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज की इस पहल से हमारी संस्था का कुछ लेना देना नहीं है। हमारी संस्था सिर्फ निर्माताओं की समस्या का ध्यान देती है और उसका निवारण करती है।'

फिल्म निर्माताओं दूसरी संस्था वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के तरफ से भी यही जवाब मिला। वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के कमेटी मेंबर रविन्द्र अरोरा ने कहा, 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज से उनकी संस्था का कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारी संस्था अब फेडरेशन के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए फेडरेशन के काम में न तो उनकी संस्था का कोई सुझाव होता है और ना ही उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप होता है।'

फेडरेशन के नेताओं की मानें तो ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक जा चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को भी मानवाधिकार मिलने की बात मानते हुए उसने राज्य मानवाधिकार आयोग निर्देश भी दिया था कि वह फेडरेशन, राज्य सरकार और निर्माताओं के प्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित करे और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए छुट्टियों की व्यवस्था लागू करने की पहल करें। इस काम के लिए तय तीन महीने की मियाद कब की पूरी हो चुकी लेकिन हिंदी फिल्में और सीरीज बनाने वाले निर्माता न तो इस बारे में कोई विचार कर रहे हैं और न ही फेडरेशन को ही कोई तवज्जो दे रहे हैं।

इस बारे में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के अध्यक्ष बी एन तिवारी कहते हैं, 'इस दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी है लेकिन सरकार के पास हमारे लिए सोचने का समय नहीं है। अब दिवाली के बाद हम लेबर कमीशन और महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर इस बारे में अवगत कराएंगे।'

जगन सरकार समर्थित दलितों पर हमले, लोकेश का आरोप

https://jantaserishta.com/local/andhra-pradesh/attacks-on-dalits-backed-by-jagan-govt-alleges-lokesh-584228

विजयवाड़ा: टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार के समर्थन से दलितों के खिलाफ हमले लगातार जारी हैं।

सोमवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि एनटीआर जिले के पेद्दापुरम में एक दलित व्यक्ति निप्पुला कोटेश्वर राव के परिवार पर वाईएसआरसी कार्यकर्ता मुत्तारेड्डी द्वारा किया गया हमला सत्तारूढ़ वाईएसआरसी द्वारा ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में उसकी अनिच्छा की ओर इशारा करता है। .

टीडीपी नेता ने आरोप लगाया कि मुत्तारेड्डी ने जिस तरह से उनकी जाति के आधार पर उनका अपमान किया, पुलिस ने पीड़ित की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया।

लोकेश ने कहा, "नंदीगामा सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने भी हमले के बाद राव के परिवार को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने से इनकार कर दिया। ये उदाहरण स्पष्ट संकेत हैं कि दलितों पर चल रहे हमलों को जगन सरकार का समर्थन प्राप्त है।"

उन्होंने दलित युवक कंदरू श्याम कुमार पर हमले के आरोपियों के खिलाफ जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किये जाने को भी गलत ठहराया. इसके अलावा, लोकेश ने केंद्र और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप करने और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

HINDUSTAN, Online, 7.11.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

आयोग की अनुशंसा पर जारी हुआ मुआवजा

https://www.livehindustan.com/jharkhand/palamu/story-compensation-issued-on-the-recommendation-of-the-commission-8945078.html

बीतेसाल 25 नवंबर तरहसी प्रखंड के सेलारी पंचायत मेंछेचानी मध्य विद्यालय मेंमध्याह्न भोजना योजना की माड़ सेझुलसकर मौत का शिकार बनी आंगनबाड़ी की दो...

मेदिनीनगर। बीतेसाल 25 नवंबर तरहसी प्रखंड के सेलारी पंचायत मेंछेचानी मध्य विद्यालय मेंमध्याह्न भोजना योजना की माड़ सेझुलसकर मौत का शिकार बनी आंगनबाड़ी की दो बच्चियों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपयेका मुआवजा दिया जाएगा। रा राष्ट्री ष्ट्रीय मा मानवा वाधिधिका कार आयो योग की अनुशंसा पर गृहगृ एवं कारा विभाग की ओर सेमुआवजा राशि जारी किया गया है। मुख्य सचिव की ओर सेगृहगृ एवं कारा विभाग को जारी आदेश के बाद मुआवजा राशि जारी की गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ओमकार विश्वकर्मानेमामलेकी जानकारी रा राष्ट्री ष्ट्रीय मा मानवा वाधिधिका कार आयो योग तक पहुंचाई थी।

उपकरणों के साथ मानवीय गरिमा की रक्षा हो

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/human-dignity-must-be-protected-with-equipment/

दीपिका अरोड़ा

भूमिगत सीवर सिस्टम ने भले ही शहरी व्यवस्था को सुविधाजनक बना दिया हो किंतु वर्ष 1993 में, आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद हाथ से मैला ढोने की प्रथा आज भी जारी है। सफाई की सुरक्षाविहीन मैन्युअल प्रक्रिया न जाने कितने कर्मियों को शारीरिक-मानसिक रूप से रुग्ण बना देती है, कई बार तो परिवार का आश्रयदाता ही छीन लेती है।

इसी संदर्भ में दाख़िल एक जनहित याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सीवर सफाई के दौरान सफाई कर्मी की मृत्यु होने पर, बतौर मुआवज़ा, परिवार को 30 लाख रुपये देने का आदेश दिया। स्थायी दिव्यांग होने पर न्यूनतम 20 लाख रुपये, अन्य प्रकार की दिव्यांगता में सरकारी अधिकारियों को 10 लाख रुपये अदा करने होंगे।

मानवीय दृष्टिकोण से कई असंवेदनशील पहलुओं सहित रोग जनक एवं प्राणघातक होने की वजह से निश्चय ही यह विचारणीय विषय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 17, 21 तथा 23 हाथ से मैला उठाने वालों को सुरक्षा-गारंटी प्रदान करता है। भूमिगत सफाई से पूर्व कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाना यद्यपि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं सरकारी अध्यादेश, 2008 के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों में आता है। इसके बावजूद नियमित सफाई कर्मियों के अलावा संविदा-ठेके पर भर्ती मज़दूरों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था मैनहोल में उतारना आम बात है। इंसानी ज़िंदगी से खुलेआम खिलवाड़ दर्शाता एक वीडियो बीते दिनों ख़ासा चर्चित रहा, जिसमें बिना किसी सुरक्षा-व्यवस्था एवं सेफ्टी किट के, मुंह उल्टा करके सीवर होल की सफाई कर रहे कर्मी के पांव अन्य कर्मी ने पकड़ रखे थे। अधिकारियों का लापरवाह रवैया दर्शाती यह तस्वीर हाथ से मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन-प्रयासों पर प्रश्नचिन्ह है।

ग़ौरतलब है, मानव अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थों के सीधे संपर्क में आने के कारण उपजे गंभीर रोगों से असामयिक मृत्यु का जोख़िम बढ़ जाता है। गहरे कुंडों में जमा रसायन विषैली गैसें उत्पन्न कर दमघोटू माहौल बनाते हैं, जिसका ख़ामियाज़ा सफाईकर्मियों को जान देकर चुकाना पड़ता है। जुलाई, 2022 के दौरान लोकसभा में पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए कोर्ट ने गत 5 वर्षों के दौरान 347 लोगों की मृत्यु होने की बात कही। अधिकांश मामलों में परिजनों को पर्याप्त मुआवज़ा न मिल पाना अन्य त्रासदी रही, जबकि वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वर्ष 1993 से सीवेज कार्य में मरने वाले व्यक्तियों की पहचान करना तथा मुआवज़े के रूप में प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 20 वर्षों में 989 कर्मी सीवर साफ करते समय मौत का ग्रास बने।

प्रतिषेध तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 इस कुप्रथा के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है किंतु केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जून माह में जारी आंकड़े बताते हैं, 766 में से मात्र 508 ज़िले स्वयं को हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित कर पाए। यह विसंगति प्रथा की असल स्थिति व सरकारी प्रयासों की प्रभावशीलता को लेकर चिंता उत्पन्न करती है।

मशीनी युग में भी अधिकांश नगरपालिकाओं के पास सीवेज सिस्टम की सफाई हेतु नवीनतम संयंत्र उपलब्ध न होना आश्चर्जनक है। जातिगत हाशिये पर धकेले समुदायों के लिए वैकल्पिक रोज़गार अवसरों तक पर्याप्त पहुंच न होने के कारण, आजीविका के तौर पर हाथ से मैला ढोने का काम स्वीकारना एक विवशता बन जाता है। वहीं अकुशल मज़दूरों द्वारा सस्ती मज़दूरी में कार्य निपटाने की सोच भी इस सामाजिक कलंक को मिटने नहीं देती है?

हाथ से मैला ढोना व्यक्ति की गरिमा तथा मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। सामाजिक भेदभाव बढ़ाने के साथ यह भावनात्मक तनाव को भी जन्म देता है। इसी के दृष्टिगत, पीठ ने प्रथा की समाप्ति सहित केंद्र तथा राज्य सरकारों को 'मैनुअल स्कैवेंजर्स पुनर्वास' हेतु समुचित क़दम उठाने तथा पीड़ितों एवं उनके परिजनों के लिए छात्रवृत्ति व अन्य कौशल विकास कार्यक्रम सुनिश्चित बनाने का आदेश भी दिया। जान को जोखिम में डालने वाली यह प्रथा वास्तव में समाज की संकीर्ण सोच की परिचायक है जो मानवीयता के स्तर पर मानव को मानव से विलग करती है। समुचित निवेश द्वारा आधुनिक शौचालयों, सीवेज उपचार संयंत्रों तथा कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण सहित स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाए तो निस्संदेह, अपशिष्ट निपटान के लिए सुरक्षित विकल्प मिल जाएंगे। पहल के तौर पर, सरकारी-ग़ैर सरकारी संगठन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के गंभीरतापूर्ण प्रयास करें तो सीवर सफाई कर्मियों के जीवन की दिशा व दशा बदल सकती है।

जीवन अनमोल है। आर्थिक संबल देने वाला मुआवज़ा भी, परिजन-विछोह क्षति की भरपाई नहीं कर पाता। जैसा कि पीठ ने सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया, सीवर-मौत से जुड़े मामलों का हाईकोर्ट के संज्ञान में आना अनिवार्य है। कानून यदि कड़ाई से लागू हों तो एजेंसियों को सुरक्षा उपकरणों तथा नियमों के प्रति सचेत एवं संवेदनशील होना ही पड़ेगा। संभवतः फिर मुआवज़ा देने की नौबत ही न आए!

Ranchi अदालतों की अवमानना मामले में समय पर जवाब दें उपायुक्त

https://samacharnama.com/city/ranchi/deputy-commissioner-should-respond-in-time-in-ranchi-court/cid12648752.htm

झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, अदालतों और विभिन्न आयोगों में लंबित मामलों में समय पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दिया है, ताकि अदालत के निर्देशों का समय पर पालन किया जा सके. इसके लिए सभी विभाग के अधिकारियों को समय पर जवाब दाखिल करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

उपायुक्त ने हाईकोर्ट समेत विभिन्न आयोग से मिले नोटिस और रिपोर्ट भी समय पर भेजने को कहा है. यदि रिपोर्ट भेजने में विलंब हो तो संबंधित आयोग से समय की मांग करने को कहा है. उपायुक्त ने कहा कि न्यायिक और आयोगों के मामले में आए निर्देशों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. रांची जिले में झारखंड हाईकोर्ट से जुड़े 24 केस में अवमानना का मामला चल रहा है. इन मामलों में समय पर जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. यह मामले जमीन विवाद, अतिक्रमण, जमाबंदी, जमीन अधिग्रहण से संबंधित हैं.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 13 मामले जिले में लंबित हैं. इन मामलों में आयोग ने रिपोर्ट मांगी है. उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट प्राप्त कर आयोग को भेजने का निर्देश दिया. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के मामलों में सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों को उपायुक्त ने रिमाइंडर भेजने का निर्देश दिया. प्रतिवेदन तैयार होने में विलंब की स्थिति में आयोग से अतिरिक्त समय मांगने का भी निर्देश दिया.
रिम्स में एमआर का बैग किया सीज
रिम्स में विभिन्न कंपनियों के एमआर डॉक्टरों से अपनी कंपनी की दवा लिखने के लिए हर रोज संपर्क करते हैं. ओपीडी के पास एमआर का जमावड़ा लगा रहता है. कई बार एमआर चिकित्सकों के लिए गिफ्ट भी लेकर आते हैं, ताकि वे उनकी कंपनियों की दवाइयां मरीजों को लिखे. पर, को न्यूरो विभाग के पास कंपनी के एमआर को गिफ्ट के साथ रिम्स के अधीक्षक डॉ हीरेंद्र बिरूआ ने पकड़ लिया. असमय रिम्स में रहने के कारण उन्होंने एमआर का बैग सीज कर लिया. साथ ही असमय रिम्स में चिकित्सकों से नहीं मिलने की चेतावनी भी दी.

माड़ से झुलसने से दो बच्चियों की मौत मामले में परिजनों को एक साल बाद अब मिलेगा मुआवजा, पांच- पांच लाख की राशि आवंटित

https://newswing.com/in-the-case-of-death-of-two-girls-due-to-scorching-due-to-mud-the-family-members-will-now-get-compensation-after-one-year-an-amount-of-rs-5-lakhs-will-be-allotted/655843/

Ranchi: पलामू में बीते साल माड़ से झुलस कर दो बच्चियों की मौत होने के मामले में सोमवार को कार्रवाई हुई. राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर गृह एवं कारा विभाग की ओर से दोनों बच्चियों के परिजनों को एक साल बाद पांच- पांच लाख रूपये का मुआवजा जारी किया गया. इस संबध में मुख्य सचिव की ओर से गृह एवं कारा विभाग को आदेश दिया गया था. जिसके बाद मुआवजा राशि जारी की गयी.

बात दें कि यह घटना 25 नवंबर 2022 की है. पलामू के तरहसी प्रखंड के सेलारी पंचायत स्थित छेचानी मध्य विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) के गर्म माड़ में गिरकर ब्यूटी कुमार और शीबू कुमारी नामक दो बहनें गंभीर रूप से घायल हुई थी. रिम्स में इलाज के दौरान 7 दिसंबर को दोनों की मौत हो गयी थी. घटना के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता ओमकार विश्वकर्मा ने मामले की शिकायत राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग में की. आयोग ने पलामू डीसी को पहले 28 दिसंबर 2022 और उसके बाद 5 अप्रैल 2023 को नोटिस जारी कर मामले की जानकारी मांगी. इसके बाद आयोग ने 17 जुलाई 2023 को राज्य के मुख्य सचिव से मामले की जानकारी मांगी. जहां घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार को पांच- पांच लाख रूपये मुआवजा देने की अनुशंसा की गयी. राशि दिये जाने के साथ ही मुख्य सचिव की ओर से एनएचआरसी को इसकी जानकारी दी गयी है.

कैसे हुई थी घटना

बता दें 24 नवंबर 2022 को छेचानी मध्य विद्यालय में मध्याहन भोजन के लिए बनाए गए चावल का गर्म माड़ खुले में रख दिया गया था. मध्य विद्यालय के पुराने भवन में गांव का आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित होता है. यहां दो शिबू कुमारी एवं ब्यूटी कुमारी आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई करने आई थी. खेलने के क्रम में दोनों बहन गर्म माड़ से भरे टब में गिर गई थी. आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए मेदिनीनगर के एमआरएमसीएच में भर्ती कराया गया था. दो दिनों के बाद दोनों को मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स ले जाने का निर्णय लिया गया था. जहां बारह दिन के बाद पीड़ितों ने दम तोड़ दिया.